शोध दिशा

ISSN 0975-735X

विश्वस्तरीय शोध-पत्रिका

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से अनुदान प्राप्त

UGC APPROVED CARE LISTED JOURNAL

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शोध पत्रिका

शोध अंक 62/7 अप्रैल-जून 2023 400.00 रुपए

संपादकीय कार्यालय
हिंदी साहित्य निकेतन, 16 साहित्य विहार,
बिजनौर 246701 (उ॰प्र॰)
फोन : 0124-4076565, 09557746346
ई-मेल : shodhdisha@gmail.com
वैब साइट : www.hindisahityaniketan.com

क्षेत्रीय कार्यालय

हरियाणा
डॉ॰ मीना अग्रवाल
ए-402, पार्क व्यू सिटी-2 सोहना रोड,
गुड़गाँव (हरियाणा)

दिल्ली एन॰सी॰आर॰
डॉ॰ अनुभूति
सी-106, शिवकला अपार्टमेंट्स
बी 9/11, सेक्टर 62, नोएडा
फोन : 09958070700

(सभी पद मानद एवं अवैतनिक हैं।)

संपादक
डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल
07838090732

प्रबंध संपादक
डॉ॰ मीना अग्रवाल

संयुक्त संपादक
डॉ॰ शंकर क्षेम
डॉ॰ प्रमोद सागर

उपसंपादक
डॉ॰ अशोककुमार
09557746346
डॉ॰ कनुप्रिया प्रचण्डिया

कला संपादक
गीतिका गोयल/ डॉ॰ अनुभूति

विधि परामर्शदाता
अनिलकुमार जैन, एडवोकेट

आर्थिक परामर्शदाता
ज्योतिकुमार अग्रवाल, सी॰ए॰

शुल्क
आजीवन (दस वर्ष): छह हजार रुपए
वार्षिक शुल्क : एक हजार रुपए
यह प्रति : चार सौ रुपए

प्रकाशित सामग्री से संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल बिजनौर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे। शुल्क की राशि 'शोध दिशा' बिजनौर के नाम भेजें। (सन् 1989 से प्रकाशन-क्षेत्र में सक्रिय)

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल द्वारा श्री लक्ष्मी ऑफसैट प्रिंटर्स, बिजनौर 246701 से मुद्रित एवं 16 साहित्य विहार, बिजनौर (उ॰प्र॰) से प्रकाशित। पंजीयन संख्या : UP HIN 2008/25034

संपादक : डॉ॰ गिरिराजशरण अग्रवाल

छत्तीसगढ़ के फसल प्रतिरूप में हुए परिवर्तन का अध्ययन

गौसेवक प्रसाद, शोधार्थी, सहा॰ प्राध्यापक, वाणिज्य
शासकीय महाविद्यालय गुरुर, जिला-बालोद (छ॰ग॰)
डॉ॰ धर्मेन्द्र सिंह, शोध निर्देशक, सहा॰ प्राध्यापक, वाणिज्य
शासकीय नेमीचंद जैन महाविद्यालय, दल्लीराजहरा (छ॰ग॰)

प्रस्तावना: प्राचीनकाल से ही मनुष्य कृषि कार्य करके अपनी जीविका निर्वहन करते आ रहे हैं। भूमि को जोतने की क्रिया कब से आरंभ हुई है यह घटना बहुत कुछ अनुमान व परिकल्पना पर आधारित है। मानव गाथाओं में कृषि की उत्पत्ति और पशुओं का पालन-पोषण के साथ-साथ आरंभ हुआ माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि मानव का प्राचीनतम व्यवसाय है। कृषि जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में शिकार, पशुपालन एवं वन संसाधनों के संग्रहण की अवस्था से लेकर वर्तमान विशिष्ट कृषि जो उच्चतम प्रौद्योगिकी पर आधारित है। समय के साथ साथ मानव भी कृषि पद्धति में शनैः शनैः विकास किए हैं।

फसल प्रतिरूप का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में किसी नियत समयावधि में विभिन्न फसलों के अंतर्गत फसलों की बुआई रकबा से लिया जाता है। फसल, पशुओं तथा कृषि उद्योगों, जलवायु, उत्पादन, प्राकृतिक संसाधन आदि से यह निश्चित होता है कि कितनी कृषि भूमि व कितनी अन्य कार्यों में प्रयोग की जाएगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रकृतिक संसाधन की उपलब्धता आदि प्रभावित करती है कि फसल प्रतिरूप किस प्रकार की होगी। फसल प्रतिरूप प्रत्येक प्रदेश में भिन्न-भिन्न स्वरूपों में पाया जाता है। फसल प्रतिरूप धरातल का स्वभाव, ढाल, तापमान, वर्षा, मिट्टी, सिंचाई साधन हेतु जल की उपलब्धता आदि तत्त्वों पर निर्भर करता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक विविधता कम मात्रा में उपस्थित रहती है वहाँ फसल प्रतिरूप में भी कम विविधता मिलती है। फसल प्रतिरूप को क्षेत्र की भूमि-स्वामित्व, मिट्टी, जलवायु आदि कारक भी प्रभावित करते हैं।

साहित्य सर्वेक्षण : Maina kumari, O.P.Singh तथा Dines Chandra (2017-18) ने अपने अध्ययन में Optimizing crop pattern in eastern uttar Pradesh using sens objective programming approach -पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषकों की कृषि रकबा का अध्ययन कर बताया है कि कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन से आय में 7% वृद्धि तथा सिंचाई जल की उपयोग कम करने में सहायक है। कृषि प्रतिरूप से संसाधनों का उचित दोहन कर आय में वृद्धि की जा सकती है।

यादव विमलेश कुमार (जून 2017) ने अपने शोध पत्र 'उत्तर प्रदेश में फसल प्रतिरूपः जिलेवार अध्ययन' में प्रदेश के आर्थिक संभावनाएँ तथा जिलेवार फसल प्रतिरूप का अध्ययन किया है। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रदेश में अधिकतम 25% से अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल में खाद्यान्न फसल गेहूँ व चावल व गन्ना का उत्पादन प्रमुख है। शोध अध्ययन के पूर्वी क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है जबकि गन्ना तथा आलू फसलों का उत्पादन पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक किया जाता है।

सिकरवार अजय सिंह (दिसंबर 2016) 'मुरैना जिले का कृषि प्रतिरूपः समस्याएँ एवं

 ISSN 0975-735X

समाधान' अध्ययन क्षेत्र के मुरैना जिला में औषधीय कृषि मेना का बराबर विकास हुआ है। चावल, क्वारी, शाक का मध्यवर्ती क्षेत्र में उत्पादन अच्छा है। मुरैना जिला में सभी सुविधाएँ औषधीय उत्पादन के लिए अनुकूल हैं किंतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कृषि प्रतिरूप में परिवर्तन कर औषधीय कृषि करने हेतु प्रयास किया जा सकता है।

उद्देश्य–(1) फसल प्रतिरूप का अध्ययन करना, (2) गन्ना कृषि से आय का अध्ययन करना।

शोध प्रविधियाँ

अध्ययन क्षेत्र : अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में फसल प्रतिरूप परिवर्तन का अध्ययन किया गया है। बालोद जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3527 वर्ग किमी में स्थित है जहाँ 5 विकासखंड व 5 तहसील हैं। बालोद जिले की अधिकांश जनसंख्या के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि है। जिले की कुल कृषि रकबा 239622 हेक्टेयर कृषि भूमि के रूप में उपयोग की जाती है। बालोद जिले में गन्ना कृषकों के उत्पादित फसल के विपणन हेतु माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाट में स्थित है जहाँ कृषक अपनी उपज का विक्रय करते हैं।

समंकों का संकलन : अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों का संकलन किया गया है। प्राथमिक समंक में जिले के कृषकों से साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं अवलोकन विधि द्वारा समंकों का संग्रहण किया गया। द्वितीयक समंक के जिला सांख्यिकीय बालोद 2015-16 तथा 2020-21 का आँकड़ा तथा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 व जनमन पत्रिका छत्तीसगढ़ शासन आदि द्वारा समंकों का संग्रहण किया गया।

फसल प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक : फसल प्रतिरूप विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होता जिनमें प्रमुख रूप से भौतिक कारक, प्राकृतिक कारक, राजनीतिक कारक तथा आर्थिक कारक महत्त्वपूर्ण हैं। भौतिक कारक में तापमान, वर्षा जलवायु, मिट्टी आदि के कारण फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। प्राकृतिक कारकों में ज्वालामुखी, सूखी मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता आदि प्रभावित करती है। अर्थिक कारकों में बाजार का उतार-चढ़ाव, माँग, पूर्ति, कीमत, स्थानापन्न वस्तुएँ, उत्पादकता आदि में परिवर्तन फसल प्रतिरूप को प्रभावित करती है। राजनीतिक कारकों में कुछ फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का दिया जाना, उपज क्रय हेतु मात्रा का सीमित होना तथा कृषि प्रोत्साहन हेतु बोनस आदि भिन्नता के कारण कृषि प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं।

सारणी क्रमांक- 1

वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक के गन्ना कृषि की रकबा, औसत उत्पादन व तथा गन्ना कृषक

वर्ष	गन्ना कृषि रकबा हेक्टे॰	उत्पादन (100) मीट्रिक टन	गन्ना मूल्य	गन्ना कृषक
2016-17	1547	646	280	996
2017-18	1541	199	305	1598
2018-19	1803	219	312	1906
2019-20	1023	563	355	1270
2020-21	516	285	355	660
2021-22	625	351	355	692

सारणी क्रमांक-1 में वर्ष 2018-19 में गन्ना कृषि रकबा 1803 हेक्टेयर जो कि वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक में सबसे अधिक है। वर्ष 2019-20 से लगातार गन्ना कृषि रकबा में

कमी हुई है। गन्ना कृषक अन्य कृषि की ओर प्रोत्साहित होने का मुख्य कारण अन्य फसल में अधिक बोनस का दिया जाना तथा गन्ना फसल में लागत अधिक आती है और विक्रय राशि का भुगतान समय पर नहीं किए जाने के कारण कृषक अन्य फसल की खेती करते हैं।

बालोद जिला के गन्ना कृषक से प्राप्त आँकड़े के आधार पर वर्षा कम होने पर उत्पादन अधिक होता है अर्थात् गन्ने की पौधें अच्छी रहती हैं। वर्षा अधिक होने से उत्पादन कम होता है अर्थात् गन्ने की मोटाई कम रहती है। माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना तथा जिला सांख्यिकी पुस्तिका से प्राप्त प्राथमिक व द्वितीयक समंकों के आधार पर सारणी क्रमांक 1 से ज्ञात है कि वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक वर्षा में निरंतर कमी हो रही है ऐसी स्थिति में कृषकों को गन्ने की खेती करनी चाहिए क्योंकि गन्ना फसल में कम वर्ष की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में वर्षा की समस्या बनी हुई है जिससे फसल प्रभावित होती है। धान, मक्का आदि फसलों में अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में गन्ना फसल उपयुक्त मानी जाती है।

सारणी क्रमांक-1 में गन्ना कृषि की रकबा और समर्थन मूल्य तथा कृषक संख्या दिए गए हैं। वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2017-18 व 2018-19 में 305 रुपए से 311.25 रुपए होने पर कृषकों की संख्या 996 से 1598 व 1906 हो गई जो कि सरकार द्वारा गन्ने की मूल्य में वृद्धि होने के कारण कृषक गन्ने की खेती करने हेतु प्रोत्साहित हुए थे। 21 मई 2020 (पूर्व प्रधानमंत्री स्व॰ राजीव गाँधी की पुण्यतिथि पर) कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत कृषकों को विभिन्न फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा अतिरिक्त राशि कृषकों को प्रदान की गई। अलग-अलग फसलों में अलग-अलग अतिरिक्त राशि दिए जाने के कारण फसल प्रतिरूप में परिवर्तन हुआ।

गन्ना फसल में वर्ष 2019-20 से अतिरिक्त राशि दी गई। परंतु यह राशि अन्य फसलों की तुलना में कॉफी कम होने के कारण गन्ना कृषक अन्य फसलों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित हुए जिससे वर्ष 2019-20 से कृषकों की संख्या व गन्ना रकबा में निरंतर कमी होती गई।

राजीव गाँधी किसान न्याय योजना : कृषकों को फसल उत्पाद हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गाँधी किसान न्याय योजना का क्रियान्वयन किया गया। छत्तीसगढ़ में लगभग 70%आबादी कृषि पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा कृषि प्रोत्साहन हेतु बोनस दिया गया। गन्ना फसल में पेराई वर्ष 2019-20 से सहकारी शक्कर कारखाना द्वारा गन्ना कृषकों को क्रय किए गए गन्ने की मात्रा के आधार पर सहायता आदान राशि दी गई परंतु यह सहायता राशि अन्य फसलों में दी गई राशि से कम होने के कारण वर्ष 2019-20 से गन्ना रकबा में कमी हुई है।

सारणी क्रमांक-2 गन्ना व धान फसल की बोनस/सहायता राशि, कृषि रकबा

वर्ष	गन्ना कृषि में बोनस प्रति कुंतल	गन्ना कृषि रकबा हेक्टेयर	गन्ना कृषक	धान कृषि में बोनस	धान कृषि रकबा हजार हेक्टेयर
2015-16	50.00	1065.00	981	300	160.228
2016-17	50.00	1547.00	996	300	171.138
2017-18	50.00	1540.88	1598	300	174.962
2018-19	50.00	1803.00	1906	750	185.296
2019-20	93.75	1023.00	1270	685	201.761

2020-21	84.25	516.33	660	632	208.617
2021-22	84.25	625.48	700	560	228.041

सारणी क्रमांक-2 में वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के आँकड़ों से ज्ञात है कि गन्ने व धान के बोनस में अंतर है और यह अंतर प्रतिवर्ष अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। गन्ना कृषक को धान की आपेक्षा गन्ना कृषि में प्रति कुंतल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कम बोनस मिलने के कारण वर्ष 2019-20 में कृषि रकबा तथा गन्ना कृषकों की संख्या में कमी हुई है। गन्ना कृषि में वर्ष 2018-19 में बोनस के रूप में 50 रुपए प्रति कुंतल की दर से दिया गया जबकि वर्ष 2019-20 में 93.75 रुपए प्रति कुंतल की दर से दिया गया जो कि बोनस में 87.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। धान में वर्ष 2017-18 में बोनस 300 रुपए प्रति कुंतल दिया गया। धान फसल में वर्ष 2018-19 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कृषकों को 750 रुपए प्रति कुंतल की दर से बोनस दिया गया जो कि पिछले वर्ष से 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बालोद जिला में गन्ना रकबा में कमी का मुख्य कारक कृषकों को दिए जाने वाले बोनस में कमी के कारण गन्ना कृषक धान की खेती करना ज्यादा पंसद करते हैं। गन्ना कृषि में लागत अधिक आती है और भुगतान समय पर प्राप्त नहीं होता है जिससे कृषक अन्य फसलों की ओर प्रोत्साहित होते हैं। सारणी क्रमांक-2 में स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के आँकड़े में बोनस गन्ने की अपेक्षा धान में अधिक रही जिससे गन्ना कृषक धान की कृषि हेतु प्रोत्साहित हुए हैं और बार चित्र में गन्ना कृषि की रकबा में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक निरंतर वृद्धि हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से अन्य फसल में अधिक बोनस मिलने के कारण गन्ना कृषक अन्य फसल की ओर प्रोत्साहित हुए हैं जिसके कारण गन्ना रकबा व उत्पादन में कमी हुई है।

सारणी क्रमांक-3

गन्ना एवं धान फसल का औसत उत्पादन कुंतल में, कुल आगम व लागत तथा लाभ (प्रति एकड़)

फसल का नाम	औसत उत्पादन	समर्थन मूल्य	बोनस	अन्य	कुल आगम	लागत	लाभ
गन्ना	350	282.25	72.85	40.87	138546	70,000	68,546
धान	22	1940.00	560	-	55,000	30,000	25,000

सारणी क्रमांक-3 गन्ना कृषि में औसतन उत्पादन प्रति एकड़ 350 कुंतल है। कृषकों से प्राप्त समंकों के अनुसार गन्ना कृषि में प्रति एकड़ कुल कृषि लागत 70,000 रुपए आती है। वर्ष 2022-23 में कारखाने की रिकवरी दर 10.84% रहा जिससे कृषकों को रिकवरी दर अच्छी होने के कारण 40.87 रुपए प्रति कुंतल की दर से अतिरिक्त आय प्रप्त हुई है और 72.85 रुपए प्रति कुंतल की दर से समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कृषकों को गन्ना कृषि से 68546 रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय प्राप्त होती है जबकि धान की फसल में 25000 रुपए प्रति एकड़ शुद्ध आय प्राप्त होती है। वर्ष में गन्ने की फसल की खेती एक ही बार की जा सकती है। धान की कृषि खरीफ एवं रबी फसल होने के कारण वर्ष में दो बार खेती की जा सकती है और दो बार कृषि करने के बाद भी गन्ने की फसल में अधिक आय प्राप्त होती है।

सुझाव : गन्ना कृषि की रकबा व उत्पादन में लगातार कमी हो रही है ऐसी स्थित में एक ओर शक्कर कारखाने में कच्चे माल की आपूर्ति कम होने के कारण कारखाने में उत्पादन कम हो जाएगा और दूसरी ओर उद्योग से संबंधित मानव संसाधन बेरोजगार हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि गन्ने की न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करे व बोनस अन्य फसलों के आधार पर अनुपातिक दर से

प्रदान करे ताकि कृषक गन्ना कृषि की ओर प्रोत्साहित हो सकें। गन्ना कृषि की आय धान की कृषि से अधिक है फिर भी गन्ना कृषक धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं जिनका मुख्य कारण धान मक्का आदि की कृषि में अधिक बोनस का दिया जाना। गन्ना कृषकों का कहना है कि उचित बोनस का अभाव तथा समय में गन्ना मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण अन्य फसल की खेती करते हैं ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा उचित बोनस का प्रावधान तथा कृषकों को समय में गन्ना मूल्य का भुगतान करे ताकि कृषक गन्ने की कृषि की ओर प्रोत्साहित हो सकें। सरकार द्वारा ऐसी कृषि हेतु योजनाएँ क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है।

निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक गन्ना रकबा था किंतु वर्ष 2019-20 में राजीव गाँधी किसान न्याय योजना लागू होने पर धान मक्का आदि फसलों में गन्ने की अपेक्षा अधिक बोनस दिए जाने के कारण कृषक अन्य फसलों का कृषि कार्य किया जा रहा है। गन्ना कृषि में वर्षा और उत्पादन में ऋणात्मक संबंध है और वर्तमान परिदृश्य में वर्षा में निरंतर कमी हो रही है ऐसी स्थिति में कृषकों को गन्ना कृषि करनी चाहिए।

संदर्भ

1. कृषि भूगोल डॉ॰ चतुर्भुज मामोरिया एवं डॉ॰ कोमल सिंह, एसबीपीडी पब्लिकेशन्स
2. कृषि भूगोल माजिद हुसैन एवं डॉ॰ एल॰एन॰ वर्मा, रावत पब्लिकेशन्स
3. माँ दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना करकाभाट वार्षिक प्रतिवेदन, सामान्य जानकारी
4. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2015-16, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बालोद (छ॰ग॰)
5. जिला सांख्यिकी पुस्तिका वर्ष 2020-21, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय बालोद (छ॰ग॰)
6. भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
7. छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय रायपुर
8. छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग-राजीव गाँधी किसान न्याय योजना
9. अन्य osclkbVhttp://drishtiias.com
10. वेबसाइट http://descg.gov.gov.in
11. उत्तर प्रदेश में फसल प्रतिरूप : जिलेवार अध्ययन : Shrinkhala Ek Shodhparak VaicharikPatrika ISSN NO _ 2321-290X, VOL-6 ISSUE-10 JUNE- 2019
12. पत्रिका अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था वेबसाइट https://egyankosh.ac.in

Gousewak Prasad
Govt. College, Gurur (Balod) 491227 C.G.
Mob. 7400713334
gousewakprasad@gmail.com